न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 45 / 2007

प्रार्थीः—

1. तहसीलदार पाली (भूमिधारक)

बनाम अप्रार्थीः—

1. श्री गणपतलाल पुत्र श्री नेनमलजी जाति जैन साकिन पाली
2. श्री भीमराज पुत्र मूलचन्द निवासी पाली
3. श्री हुक्मीचंद पुत्र मूलचन्द मेहता साकिन पाली।
4. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि गंगासिंह पुरोहित साकिन पाली
5. श्रीमति रूक्सानाबानो जोजे इकबाल अहमद कौम चूड़ीगर मुसलमान साकिन 15 महावीर मार्ग रोरान कोर्ट के सामने, पाली
6. श्री सम्पतराज पुत्र पन्नालालजी सिंघवी आदर्श नगर पाली।
7. श्री महेन्द्र पुत्र पारसमलजी जैन वर्धमान मार्केट, पाली
8. श्री भैरूलाल पुत्र मनरूपजी घांची साकिन पाली
9. श्री जवाहरसिंह पुत्र चिमनसिंह पुरोहित निवासी बड़ी सुआई जिला चुरू
10. श्री प्रेमसिंह हरतिंगजी पुरोहित साकिन बसन्त तहसील बाली
11. शिवनारायणजी वल्द हिम्मतरामजी कौम ब्राहम्ण साकिन कोलर तहसील देसूरी
12. चम्पालाल वल्द किस्तुरचन्द कौम जैन साकिन पाली
13. श्रीमति प्रेमलता जोजे मगराज कौम जैन साकिन पाली
14. श्री गिरधारीसिंह वल्द जवाहरसिंह राजपूत साकिन रामासिया
15. श्री रामसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह कौम राजपूत साकिन रामासिया तहसील पाली
16. श्री बाघसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह राजपुत साकिन रामासिया तहसील पाली
17. श्रीमति सीतादेवी पत्नि रतनसिंह जाति पुरोहित निवासी विष्णु भवन उदयमन्दिर थाने के पास जोधपुर
18. किशोरसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी विष्णुभवन उदयमंदिर थाने के पास, जोधपुर
19. चन्दनसिंह वल्द पाबूसिंह पुरोहित साकिन पाली
20. मोहम्मद वल्द मुरादजी कौम घोषी साकिन घोषीवाड़ा, पाली
21. अब्दुल हमीद वल्द नबी बक्श उर्फ नबूभाई कौम छीपा साकिन 22, छीपों का मायला बारा, पाली

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

22. भारत ब्लिचिंग प्रोसेस हाजी मोहम्मद गफूरजी छीपा, 31, छीपों का हेटला बास, पाली।

उपस्थितिः–

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

–:निर्णयः– दिनांक 28·02·2020

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पाली चक प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1193 रकबा 20.10 बीघा किस्म जमीन बारनी दोयम जमाबंदी संवत् 2064 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 20 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की खातेदारी कृषि भूमि है। पर अप्रार्थी संख्या 22 द्वारा अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर फैक्ट्ररी(अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। अप्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 21 की सहमति से किया जा रहा है। यानि कृषि का अकृषि प्रयोजन से उपयोग तमाम अप्रार्थीगण की सहमति से किया जा रहा है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि पाली नगर परिषद् सीमा मे घनी आबादी के मध्य एवं लगती आई हुई है। जिससे उक्त भूमि मे किए जा रहे औद्योगिक उत्पादन से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। जिससे आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए यह वाद कारण उत्पन्न हुआ है। एवं आस पास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीय हो रही है। जिससे कृषि उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वाद ग्रस्त भूमि औद्योगिक क्षेत्र मे स्थित नहीं है। जिससे उसका संपरिवर्तन किया जाना भी संभव नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो मौके पर अकृषि प्रयोजन से कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं	नाम प्रतिवादी	खसरा नम्बर	रकबा	उपयोग
1.	भारत ब्लिचिंग प्रोसेज हाजी मौहम्मद गफूरजी छीपा, 31, छीपो का हेटला बास, पाली	1193	2.06 बीघा (400 X100) फुट	फैक्ट्री (अडान, हौदा, कमरा, हॉल इत्यादि) रूप मे उद्योग लगा रखा है। जिसमें डिसाईजिंग का कार्य होता है।

इस प्रकार खसरा नम्बर 1193 में से 2.06 बीघा भूमि का अकृषि के रूप मे उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघन हो रहा है। मौजा चक प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1193 कुल रकबा 20.10 बीघा मे से 2.06 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 21 निरस्त फरमाते हुए सिवाय चक घोषित किया जावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 5,16,19 के विरूद्ध दिनांक 24.10.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

4. दिनांक 06.09.2011 को उक्त प्रार्थना पत्र को वाद मे परिणित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 6 से 10,12,13,16 से 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 18.04.2012 को प्रतिवादी संख्या 5,14 व 15 का जवाबदावा का अवसर समाप्त किया गया।

Rahul

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

5. प्रतिवादी संख्या 11 व 20 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग कर मौके पर कपड़े की धुलाई का उद्योग नही लगा रखा है। एवं न ही अकृषि कार्य उपयोग किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि मे किये जा रहे कार्य से किसी प्रकार का वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नहीं फैल रहा था तथा न ही आम नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ रहा था न ही आसपास स्थित कृषि भूमि भी क्षारीप हो रही थी उक्त आरोप वादी ने अपनी मनमर्जी से लगाये है। प्रतिवादी द्वारा वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था इस बाबत कोई शिकायत/दस्तोवजी सबूत पेश नहीं किये है। आम नगारिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड रहा था। इस बाबत नागरिक के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडा एवं कैसे विपरित प्रभाव पड़ा इस बाबत किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट/डाक्टर की रिपोर्ट पेश नहीं की है तथा आसपास कृषि भूमि क्षारोप हो रही है विशेषज्ञ की रिपोर्ट लाकर पेश नहीं की है तथाा कृषि उत्पादन पर विपरित प्रभाव किस कारण से पड़ रहा है। कृषि विशेषज्ञ से जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। ऐसे मे वादी द्वारा प्रतिवादी हाजी मो. एवं शिवनारायणसिंह पर लगाये गये आरापे सिद्ध नहीं होने से वादी का वाद प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

6. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

7. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने निवेदन कि चक प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1193 रकबा 20.10 बीघा किस्म जमीन बारनी दोयम बिघा भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है।

8. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद चक प्रथम मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1193 रकबा 20.10 बीघा किस्म जमीन बारानी दोयम है। वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45 सन् 2007

प्रार्थीः–

1. तहसीलदार पाली (भूमिधारक)

बनाम अप्रार्थीः–

1. श्री गणपतलाल पुत्र श्री नेनमलजी जाति जैन साकिन पाली
2. श्री भीमराज पुत्र मूलचन्द निवासी पाली
3. श्री हुक्मीचंद पुत्र मूलचन्द मेहता साकिन पाली।
4. श्रीमति गायत्री देवी पत्नि गंगासिंह पुरोहित साकिन पाली
5. श्रीमति रूक्सानाबानो जोजे इकबाल अहमद कौम चूड़ीगर मुसलमान साकिन 15 महावीर मार्ग रोरान कोर्ट के सामने, पाली
6. श्री सम्पतराज पुत्र पन्नालालजी सिंघवी आदर्श नगर पाली।
7. श्री महेन्द्र पुत्र पारसमलजी जैन वर्धमान मार्केट, पाली
8. श्री भैरूलाल पुत्र मनरूपजी घांची साकिन पाली
9. श्री जवाहरसिंह पुत्र चिमनसिंह पुरोहित निवासी बड़ी सुआई जिला चुरू
10. श्री प्रेमसिंह हरतिंगजी पुरोहित साकिन बसन्त तहसील बाली
11. शिवनारायणजी वल्द हिम्मतरामजी कौम ब्राहम्ण साकिन कोलर तहसील देसूरी
12. चम्पालाल वल्द किस्तुरचन्द कौम जैन साकिन पाली
13. श्रीमति प्रेमलता जोजे मगराज कौम जैन साकिन पाली
14. श्री गिरधारीसिंह वल्द जवाहरसिंह राजपूत साकिन रामासिया
15. श्री रामसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह कौम राजपूत साकिन रामासिया तहसील पाली
16. श्री बाघसिंह पुत्र श्री गिरधारीसिंह राजपुत साकिन रामासिया तहसील पाली
17. श्रीमति सीतादेवी पत्नि रतनसिंह जाति पुरोहित निवासी विष्णु भवन उदयमन्दिर थाने के पास जोधपुर
18. किशोरसिंह पुत्र लालसिंह जाति पुरोहित निवासी विष्णुभवन उदयमंदिर थाने के पास, जोधपुर
19. चन्दनसिंह वल्द पाबूसिंह पुरोहित साकिन पाली

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

20. मोहम्मद वल्द मुरादजी कौम घोषी साकिन घोषीवाड़ा, पाली
21. अब्दुल हमीद वल्द नबी बक्श उर्फ नबूभाई कौम छीपा साकिन 22, छीपों का मायला बारा, पाली
22. भारत ब्लिचिंग प्रोसेस हाजी मोहम्मद गफूरजी छीपा, 31, छीपों का हेटला बास, पाली।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री केसर सिंह तहसीलदार पाली, विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार कर क्षेत्राधिकार बाहर होने से डिकी किये जाने योग्य नहीं पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 02 सन् 2020 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.03.19 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: